

सुशासन में बाधक केंद्र-राज्य टकराव

उम्मीद है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शहर की सिविल सेवाओं की निगरानी और नियंत्रण पर हक् को लेकर सबौच्च न्यायालय में दायर किए गए केस में आये फैसले से यह विवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष कानून के महत्वपूर्ण विटुंग गिनाकर अपना हक् ज्यादा होने की बहस करते रहे हैं लेकिन एक साधारण आदमी के लिए यह विवाद तभी से अनुत्तम है। एक वैधानिक रूप से निवाचित सरकार का काम प्रशासन चलाना और विकास कार्य करना होता है जिसके पास अपनी नीतियाँ लागू करने और अच्छा शासन देने के लिए विभिन्न श्रेणी की सिविल सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होती है। कोई मंत्री विभाग मिलने के बाद, अपना काम मुख्यालय में सचिवों और जिलों में तान फैल दस्तावेज़ की मार्फत चलाता है। शीर्ष से सुख लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था का बिना कुम्र स्पष्ट है = मुख्य मंत्री-मंत्री-सचिव-विभागाध्यक्ष... इत्यादि। राज्यपाल या उपराज्यपाल का ओहदा मुख्य तौर पर राज्य के संवैधानिक मुखिया का होता है।

चुक्के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है और केंद्रीय सरकार का मुख्यालय भी यहाँ है, इसलिए यहाँ प्रशासनिक शक्ति के बटवारे को लेकर सदा अस्पष्टता रही है, मसलन, इस मसले को लेकर कि सुझा, आपूर्ति और योजना जैसे महकमे किसके अधीन हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केंद्रीय भूमि मालियत समय-समय पर आदेश यारी करता आया है, नतीजतन शासन चलाने के अधिकार उप-राजनीति के हाथों में केंद्रित होते चले गए और निर्वाचित सरकार कमज़ोर बनती गई। इससे दिल्ली सरकार के लिए न केवल बदलियाँ और नियुक्तियाँ करने में अड़कने पैदा हुईं बल्कि नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में भी रोड़े अटके। इससे एक-दूसरे पर दोषारोपण और प्रत्युत्तर



जमपर चले व आपसी कलह सार्वजनिक हुई। उम्मीद करते हैं कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में फैसला दे दिया हैँ यूं भी हमारे पास इससे उच्च और कोई प्राधिकण नहीं है।

काहि प्राप्तिकण नहीं हा। केंद्र-राज्य संवधंके वृद्ध प्रश्न की ओर पुनः लौटते हैं, यह एसा क्षेत्र है जिसमें ह्वास जारी है और जिसके परिणामस्वरूप विकास और प्रशासन दोनों ही प्रभावित होते हैं। आज भारत विश्व का सबसे ज्यादा आवादी बाल देश और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश के बतौर मध्य-आय बाले मुख्ल में बदलाव के क्रम को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अनेक बाले दशकों में भी यह विकास गाथा सतत और ऊर्जावान बनी रहे। करोड़ों लोगों को गरीबी और न्यून-

आय श्रेणी से ऊपर उठना अवलम्बन कठिन काम है। उत्तर ही दुर्भाग्य है, ग्रामीण समाज और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का बतौर शहरी और औद्योगिक रूपांतरण करना। नीचे निर्धारण, व्यवस्था, जावाबदी और सामाज्य कानून व्यवस्था संचालन हेतु संस्थानों का विकास और सुदृढ़ीकरण एक ऐसी बुलियादाह है जिसपर कोई देर निर्मित होता है। इसके लिए केंद्र-राज्य सम्बन्धी चर्चा व की अहमियत बहुत है। विषय में विभिन्न राजनीतिक सम्बंधों की शविकरण दलों की केंद्र सरकार रखी हैं, लेकिन सभी की शविकरण धीरे-धीरे संकुचित करते हुए तकत अपने पास कोदिन करने की प्रवृत्ति सबकी रखी है। केंद्र की ऐजेंसियों व भारती राज्यपाल का इसेमाल बतौर एक औजार सभी व राजनीतिक मामलों में दखल अद्याजी करने में बड़ता चलता है।

गया। राज्यपाल का ओहोदा बनाने का मंतव्य था, भारत सरकार का प्रतिनिधि बनकर अपने सेवाधैनिक दायित्व निभाना और केंद्र-राज्य सरकार के बीच संबंधों को मधुमधु बनाना। आज अधिकांश राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच इस्तेह कुहैं और यह बात सार्वजनिक रूप से सबको पता हो। राजभवनों में जिस किस्म के राजमर्मणी भाव की मौजूदगी होनी चाहिए, वह आज गायब है। आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं बनने का रुझान हाँसी हो रहा है। इसलिए राज्य सरकारों एक अनुभवी और सक्षम शासित्रियत की नेतृत्व सलाह से बचत है। ज्यादातर यह वित्तीय मामले हैं जिनमें राज्यपाल-सूचे की सरकार वे बीच तनाती अधिक दिखाई देती है। हालांकि वित्त प्रबंधन राज्यों का विषय है लेकिन राज्यव्यय खजाने के चाचों केंद्र सरकार के हाथ में होने की वजह से अधिकांश सूचे को न्यायोद्धव और समान वितरण वे लिए उसका मुहूर ताकना पड़ता है। जीएसटी व्यवस्था लाने की होने वाला यह लाचारी और अधिक बढ़ गयी। आपसमें तनाव तब और उभरकर समाने आते हैं जब केंद्र और राज्यों में एक-दूसरे के विरोधी दलों की सकारात्मक सत्तासीन हों। ऐसे रिश्तों में परपर शक बहुत बढ़ जाता है। संवैधित राज्य सरकार को हमेशा लगता है कि उसके न्यायोद्धव हक्क से उसे बचत रखा जा रहा है। यहीं वक्त्र क्षेत्र है जहां धन जारी करने में अधिकार पारदर्शिता होनी चाहीरी है। वहीं दूसरी ओर, जारी किए गए ऐसे के खन्नों को लेकर राज्य सरकार की जवाबदेही होना जरूरी है। अनुभव दराता है कि केंद्र सरकार के पास राज्य द्वारा किये खर्च की निगरानी के लिए समुचित तंत्र नहीं है, नवीजतन, प्राप्त धन का दुरुपयोग होता है या अन्य किसी मद में खर्च किया जाता है। धन वितरण और खन्ने-न्यायोद्धव हो और इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक अन्य क्षेत्र जिसमें केंद्र-राज्य सरकार के बीच ध-

और तालमेल में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, वह है आपदा प्रबंधनकृत प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित। मसलन, मणिपुर में दंगा पीड़ितों का पुनर्वासझुजब मैतई, कुकी, पैते, जोमी जाति को अन्य जगह पर बसाना पड़ा था। जरूरतमंडल तक स्थानायत पहुंचाने को धन और एजेंसियों की जरूरत होती है और इसके लिए केंद्र और शहर सरकार को समर्थ बनना जरूरी है। उजड़े लोगों को हमेस्ते के लिए मलिन-वसितियों में न रखना पड़े, जैसा कि हम अनेकानेक राज्यों में दंगा पीड़ितों के मामले में देखते हैं। वर्तमान में, युवावास केवल उनकी चिंता है जो बेघर हुए पड़े हैं, जिन्हें अपने गांवों से खदेंद दिया गया, घर जला दिए, उनके धार्मिक स्थल तबाह कर दिए गए। जहां तक मेरी जानकारी है, केंद्र अथवा राज्य के किसी राजनेता ने वास्तविक घटना स्थल का दौरा करके झुनझी धरती और बेघर हुए लोगों की सुध लाना चाहिए। उन्हें जुनून क्यों नहीं? यदि वे क्यानून प्रचार के लिए राज्य-राज्य भूम सकते हैं तो चूराचांदुरु बयां नहीं? दुर्मियाबर में सता की राजनीति में, जनता और सेंटों पर नियंत्रण बनाना सरकारों के कर्म का हिस्सा और तरीका है। विकसित जगत और अन्य मुल्कों में एक फर्क है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का वितरण किनारा और कैसा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका (और वे संस्थान जो इन मुख्य संभौं का हिस्सा हैं) को अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी पड़ेगी। राजशक्ति का वितरण कुछ इस तरह हो कि सख्त निरागण और संतुलन बना रहे और कोई एक संस्थान या व्यक्ति सर्व-शक्तिमान न बनने पाए। यदि केंद्र और राज्य सरकारों अपने कर्मों में उच्च शुचिता, दक्षता और नैतिकता दर्शाएं तो विकास और बढ़िया प्रशासन स्वतः हो जाएगा। इसके लिए चाहिए एक ऐसा नेतृत्व जो सविधान, देश के संस्थापक पुरुदों के आदर्शों और लोगों की सेवा करने को प्रतिबद्ध हो।

जनता के पैसे से बैंक मालामाल !

संपादकीय

ऋषिकर्म का धर्म



दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में मार्गदर्शक पेशों, कानून के रक्षकों और सेहत के संरक्षक चिकित्सकों से जनता की आस रहती है कि वे अपने पेशे के उच्च मानकों का पालन करें। वजह यह कि उनके दायित्व किसी वेतनभोगी व निर्धारित कार्यावधि के तथा मापदंडों से परे माने जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरु की महिमा की अनंत गाथा हमारे पौराणिक आख्यानों तथा साहित्य में मिलती है। इसकी वजह यह भी थी कि गुरु लौकिक सुख की परवाह किये बिना शिष्य के सर्वांगीन विकास को अपना ध्येय मानता था। निस्सदेह, किसी भी पेशे के व्यक्ति का सम्मान इस बात पर निर्भर है कि वह निजि के बजाय समाज के हितों को कितना महत्व देता है। समाज में शिक्षक, सैनिक, चिकित्सक, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यकार को शेष व्यवसायों से जुड़े लोगों पर अधिमान दिया जाता है।

एक ही मुर्गी बार-बार कई जगह हलाल!

प्राप्ति से ज्यादा वस्तुओं और कम लगाने के बारे में पृष्ठ का एक सपाट जवाब होता है। कैसे इसके पैसे का इस्तेमाल जनता लिए कर रही है। कैसे इसके बारे में एक टैक्स के पैसे से बुनियादी संस्कार कर रही है। फिर सोशल की जनता को प्रोत्तरीकरण कराए जाते हैं कि देश के बाहर में इस तरह के पोस्ट करने की व्यापिक इससे सरकार की अधिकारीता है तो मुफ्तबोरी करना चाहिए। और जनता को चुप कर दिया जाना लियत बिल्कुल अलग है। ऐसी पर। सरकार कहती है कि पैसे सँझक बनवा रही है तो इडक पर चलने के लिए आप बारे बारे अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी की कीमत पर लगाने के बारे में टैक्स को छोड़ दें तब भी बदलने के बारे रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में बदलना कराया जाता है। उसके बारे में जनता की कीमत पर 50 फीसदी का चकना होता है। इस टैक्स

के बाद लोगों को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से रोड इंफास्ट्रक्चर का सेस यानी उपकर भी देना होता है। अंत में सड़क पर भारी भरकम टोल टैक्स चुकाना होता है, जो अवसर किसी निजी कंपनी को जाता है और उस पर भी सकार जीएसटी वसूलती है। सोचें, एक मुर्गी को खानी वार हलाल सरकार टैक्स के पैसे से बुनियादी ढाँचे का विकास नहीं कर रही है। उसने बुनियादी ढाँचे का पीपीपी या हाइब्रिड मॉडल निकाला है, जिसमें सरकार पैसा नहीं देती है, बल्कि निजी कंपनियां वैकों से कर्ज लेकर बुनियादी ढाँचे का विकास करती हैं और उसके इस्तेमाल के लिए जनता से पैसे वसूलती हैं। यह बात सिर्फ सड़क विप्रवहन के मामले में नहीं है, भर जग्ह देखी जा सकती है। एक एक करके हवाईअड्डे निजी होते जा रहे हैं। उस हवाईअड्डे पर लगने वाला यूजर चार्ज कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसी तर्ज पर रेलवे स्टेशनों का भी कथित तौर पर विकास हो रहा है। उन्हें सुंदर बनाया जा रहा है। उसके इस्तेमाल के लिए जनता से अलग पैसे वसूले जा रहे हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्योक्तरण हो रहा है। यह काम किसी कंपनी अपने पैसे से या वैकों से लोन लेकर कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स में जरूर सरकार भी पैसे दे रही है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट निजी कंपनियां

बूद पूरा कर रही हैं। बदले में लोगों से इश्वरने के इस्तेमाल के लिए यूजर चार्ज मूला जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट कई गुना दृढ़ गए हैं। किराए में बेतहाशा बोतरी हो रही है। नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो उसमें लेकरी फ्रेयर लागू किया गया है, जिससे न का किराया हवाई जहाज के किराये की तरह बढ़ रहा है। लेकिन यह किराया समझाया जा रहा है? उह अच्छी विधि मिल रही है तो कुछ पैसे चुकाने के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचें, ये लोगों वाले कैसे हो सकती हैं? एक तरफ जनता के पैसे से अच्छी सुविधाएँ बचकर सिर हो रही है तो दूसरी तरफ उसके विधि के इस्तेमाल के लिए जनता से अपनी लूलक वसूली जा रहा है! फिर भले वह डणी की ओर जब में जाए या किसी बड़ी दीवारी की ओर जब में। जो सुविधा निजी विधियां अपने पैसे से विकसित करती ही हैं उसके लिए सरकार उनको दूसरी विधिएँ दे रही है। स्टेशनों पर रेलवे जी जमीन का कारोबारी इस्तेमाल बढ़ावा दूर है। बाबूजूद इसके कपनियां जनता की यूजर चार्ज वसूलती हैं। उस पर आरकर जीएसटी लेती है। इस रह से यह एक दुख्खी बन गया है जनसमें जनता कदम कदम पर किसी न कर्मी तरह से सेवा शुल्क चुका रही है औपनी जेबे खाली कर रही है।

आत्मसम्मान की रक्षा से सफलता की ऊँचाई

जो व्यक्ति अपना सम्मान करना जनता है, वह निश्चय ही दूसरों का सम्मान भी करता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्टो कहते हैं कि 'संतुलित आत्मसम्मान विकसित करने से व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार और पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकता है'। मास्टो यह भी कहते हैं कि लोगों के अंदर नहीं जरूरते और जीवांश्च एवं जीवनी होती रहती है। इसलिए अमेरिका जीवनभर अलग-अलग ही सकता है। इसका संतुलन बनाए रखना एक निरंतर व्यायाम है। जिस तरह प्रतिदिन व्यायाम करने से व्यक्ति तन-मन से स्वस्थ रहता है, उसी तरह संतुलित आत्मसम्मान बाल व्यक्ति न केवल उच्च पद पर पहुंचता है, अपितु एक गरिमामय जीवन व्यतीकरण करता है। बच्चों में आत्मसम्मान की भावना को प्राप्त भ से ही बढ़ावा देना चाहिए। कई बार क्रोध एवं आवेश में बच्चे को खत्ती पर उसे कठोर शब्द बोलकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी जाती है, जिससे बच्चा गलत मार्ग की ओर मुड़ जाता है। बचपन में वे गलतियाँ भी करते हैं। ऐसे में गुरु एवं माता-पिता की जिम्मेदारी होती है। वे सुझाव दें एवं समझदारी से बच्चे की गलती पर कानूनियों के दबाव करें।

एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल में एक दिन आरप नामक एक विद्यार्थी बहुत कीमती घड़ी पहनकर आया। उसकी कीमती घड़ी ने मित्रों पर बहुत प्रभाव लेंदा। हर मित्र स्वयं भी अपनी कलाई पर ऐसी घड़ी पहनने को लालायित था। उस दिन कक्ष में गणित की परीक्षा थी। समय देखने के लिए आरप ने घड़ी कलाई से निकालकर मेज पर रख दी और ऐपेर करने लगा। ऐपेर करने के बाद वह लाघ-मुँह धोने के लिए कमरे से बाहर चला गया। पांच मिनट बाद वह कक्ष के अंदर आया तो क्या देखता है कि उसकी घड़ी मेज से गायब है। वह देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आज पल्ली बार वह घड़ी पहनकर आया था। माता-पिता दोनों ने उसे कहा भी था कि, 'बेटा, स्कूल घड़ी पहनकर मत जाओ। इतनी कीमती घड़ी कोई चुरा न ले।' लेकिन आरप नहीं माना। आखिर घड़ी चोरी हो गई। उसमें घड़ी को हर ओर अच्छी तरह ढूँढ़ा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वह शिक्षक की मौजूदा था और अपनी घड़ी खोने की मूलनां उठाएं दी। शिक्षक बोले, 'दूजाजा बाट कर दो। अपनी कक्षा से तमाज़ी



अलावा कोई बाहर नहीं गया था। इस तरह वह घड़ी कक्षा में ही है। मैं सभी की तलाशी लूँगा। घड़ी मिल जाएगी। चिंता मत करो। तुम अपनी सीट पर जाओ।

आरु अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इसके बाद शिक्षक ने चपरासी से 40 काली पट्टियां मंगवाईं। उन पट्टियों को उन्होंने प्रयेक विद्यार्थी की आंखों पर बांध दिया। इसके बाद वे आरुष की घड़ी खोजने लाए। कुछ ही देर में घड़ी मिल गई। उन्होंने घड़ी आरुष को थामा दी और सभी विद्यार्थियों को पहुंच तारने के लिए बोल दिया। आरुष अपनी घड़ी पाकर फला न समझा। लेकिन

किसी भी विद्यार्थी को यह जात नहीं हुआ कि घड़ी-चार कौन था? यह बात सिर्फ वही विद्यार्थी जानता था जिसने घड़ी चुराई थी। उसे राह था कि वह एकी भी पल शिक्षक उसका नाम ले देंगे और उस तरह उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी। लेकिन शिक्षक ने किसी भी विद्यार्थी का नाम न लिया। दूसरे दिन भी उन्होंने चार के बारे में कुछ नहीं कहा। चार विद्यार्थी को आत्मलानि होती कि कहीं शिक्षक उसे पकड़ कर प्रिमिल के सामने खड़ा न कर दें।

दिन बीतते रहे और घड़ी की चोरी वाली बात धीरे-धीरे सभी विद्यार्थियों के मरिटेन्स से धमिल

होती गईं। दिन महीनों में बदलते, महीने सालों में। अब वह चोर विद्यार्थी एक जाना-माना उद्योगपति बन चुका था। एक दिन उसे अपने ही स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आमत्रित किया गया। उसके बही शिक्षक भी वहाँ उपस्थित थे जो अब बदल हो चके थे।

स्कूल के कार्यक्रम के बाद उद्योगपति शिशक के पास पहुँचे और उसे पैर पकड़ लिए। शिशक हैरानी से उसे देखने लगे। यह देख कर उद्योगपति बोले, 'सर, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही घड़ी चौर हूँ जिसने आरप की घड़ी चुराई थी।' यह सुनकर शिशक को बरसाये पुरानी घड़ी की चोरी वाली घटना याद आ गई। शिशक उस उठाये हुए बोले, 'अच्छा वह तुम थे। मैं तो यह बात आज तक नहीं जान पाया।' यह सुनकर उद्योगपति हैरानी से बोले, 'भाता यह कैसे संभव है?' शिशक मुस्कराये हुए बोले, 'इसलिए कि तुम सब की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद एक पट्टी मैंने अपनी आंखों पर भी बांध ली थी ताकि मैं भी यह न जान पाऊं कि चोरी किसने की थी? यह करने का मकसद मेरा उस चोर विद्यार्थी के आत्मसम्मान को बनाना था।'

वह सुनकर उद्योगपति की आंखों से अंसू वह निकले। वह बोला, 'सर, सचमुच उस दिन आपने मेरा आत्मसम्मान सिफ़ बचाया ही नहीं था, अपितु उसे आसमान जितना ऊँचा कर दिया था। अगर उस दिन मैं सबके सामने चोर साक्षित हो जाता तो अल्ले दिन मैं स्कूल में कदम न रखता और पढ़ाई छोड़ देता। आपने उस दिन न केवल मुझे मेरी गलती का अहसास दिलाया, मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया अपितु मेरे आत्मसम्मान को भी मरने से बचा लिया था। आज अगर मैं एक सफल उद्योगपति हूँ तो सिफ़ इसका कारण क्योंकि उस दिन मैं सबके नज़रों में चोर साक्षित होने से बचा लिया था। हम सब भी एक-दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने में लगे रहते हैं। अपनी गलती को छिपाते हैं और दूसरों की गलती को बढ़ा-चढ़ाकर सामने लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते हुए हम दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को न केवल नीचा करते हैं, अपितु एक श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने जीवन से हमेशा के लिए खो देते हैं। लोगों के आत्मसम्मान को गिरने से बचाएं। ऐसा करने से आप श्रेष्ठ मित्रों को अपने समीप पाएंगे।

